ग्राम पंचायत रोपा, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत रोपा, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती हिमा देवी	01.04.13 से 22.1.16
2	श्री बुद्धि सिंह	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री नानक चन्द	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत रोपा के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	अनुदान राशियों का उपयोग न करना	7.12
2	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	0.50
3	9	निर्माण कार्य चैक डैम रोपा नाला में मजदूरों को अधिक भुगतान की गई राशि	0.13
4	10	निर्माण कार्य बावड़ी चाड़ादीन में अधिक भुगतान	0.01
5	12	निर्माण कार्य रोड रोपा से द्रुण हेतु किये गये भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्ततु न करना	0.98

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत रोपा, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 04.07.2016 से 06.07.2016 एवं 18.07.2016 से 19.07.2016 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 04/13, 06/14, 02/16 एवं 03/14, 09/14, 08/15 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत/अपूर्ण एवं उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत रोपा, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 106/2016 दिनांक 19.07.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत रोपा से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत रोपा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) स्व स्त्रोत एवं विभिन्न अनुदानः–

		आय		योग	व्यय		अन्तिम शेष
वर्ष	अथशेष	स्व स्त्रोत	विविध अनुदान		स्व स्त्रोत	विविध अनुदान	
2013–14	161840	15652	154848	332340	36683	115628	180029
2014–15	180029	20120	548979	749128	14010	391026	344092

2015–16	344092	30201	901133	1275426	18233	283353	973840
	पास बुक अनुसार 31.3.2016 को शेष						₹973819
	हस्तगत राशि						₹21

(ख) विभिन्न अनुदान (जिला परिषद, पंचायत, समिति बी ए एस पी, आई ए वाई आर ए आई, एम पी लेड)

वर्ष	**अथशेष**	**आय**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013–14	412955.25	779652	1192607.25	595676	596931.25
2014–15	596931.25	496805	1093736.25	723982	369754.25
2015–16	369754.25	478133	847887.25	375318	472569.25
	पास बुक अनुसार 31.3.2016 को शेष				₹482569.25
	चैक जारी किन्तु बैंक से भुगतान नहीं				₹10000

(ग) मनरेगाः–

वर्ष	**अथशेष**	**आय**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013–14	16074.27	2736535	2752609.27	2750767	1842.27
2014–15	1842.27	989995	991837.27	991837	0.27
2015–16	0.27	1722419	1722419	1722419.27	0.00
	पास बुक अनुसार दिनांक 31.3.2016 के शेष				शून्य

ग्राम पंचायत रोपा के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदानों (क, ख, ग उपरोक्त) का सम्पूर्ण विस्तारपूर्वक वर्णन इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट 1 से 3"** में भी दिया गया है।

5 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन निरर्धारित प्रपत्र पर तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 अनुदान ₹7.12 लाख का उपयोग न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–4** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹711552/– उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को

विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/– व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये का व्यय पंचायत के विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर किया गया है, किन्तु इन कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि यह सभी निर्माण कार्य प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर प्राक्कलन तैयार किये गये थे अथवा नहीं? अतः इन निर्माण कार्यों पर किए गए समस्त व्यय से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उनकी तदानुसार जाँच की जा सके।

8 चयनित मासों में औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.50 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) एवं 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा चयनित मासों में ₹50269 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक हैः–

क्र0सं0	फर्म का विवरण	व्यय जहां से किया गया	वाउचर सं0	दिनांक	बिल सं0	दिनांक	राशि (₹)
1	मै0 वी0के0 एन्टरप्राईजिज पधर	सामान्य	56	06.8.15	672	05.8.15	15148
2	मै0 एच0पी0	मनरेगा	182	04.03.14	010835	3.3.14	26880

	एग्रो इन्डस्ट्रीज मण्डी						
3	मै0 कन्या हार्डवेयर स्टोर, पधर	विभिन्न अनुदान	045	10.3.14	0612 0613	6.3.14	8241
						योग	**50269**

अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर इस व्यय को नियमित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय के आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख भी आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि इस क्रय को नियमानुसार नियमित किया जा सके।

9 निर्माण कार्य चैक डैम रोपा नाला में मजदूरों को अधिक भुगतान की गई ₹0.13 लाख की वसूली करने के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत के मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि सत्र 2013–14 में व्यय वाउचर संख्या 178 दिनांक 03.03.2014 द्वारा मजदूरों को ₹41676/– का भुगतान मस्ट्रोल संख्या 90999100 एवं 9101 अवधि 09.02.2014 से 19.02.2014 के एवज में किया गया है। उक्त मस्ट्रोलों से सम्बन्धित कार्य प्रगति जोकि माप पुस्तिका 6442 पृष्ठ 39–40 में दर्ज है केवल ₹28876/– की है। इस प्रकार कार्य प्रगति ₹28876/– के विरूद्ध मजदूरों को भुगतान की गई ₹41676/– की मजदूरी नियमानुसार सही नहीं है। अतः कार्य प्रगति से अधिक भुगतान की गई मजदूरी ₹12800/– (41676–28876) की वसूली दोषी व्यक्तियों से शीघ्र करने उपरान्त पंचायत के सम्बन्धित खाते में जमा करवाई जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

10 निर्माण कार्य बावड़ी चाड़ादीन (13वाँ वित्तायोग) में ₹1156 का अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताओं के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत रोपा द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि सत्र 2013–14 में वाउचर संख्या 47 दिनांक 24.3.2014 द्वारा मस्ट्रोल संख्या 029583 दिनांक 10.3.2013 से 31.3.2013 में ₹8700/– का भुगतान मजदूरों एवं मिस्त्रियों को किया गया है। जाँच में पाया गया कि उक्त मस्ट्रोल जारी करते समय मजदूरों की दैनिक मजदूरी ₹130/– प्रतिदिन प्रति मजदूर एवं मिस्त्री की दैनिक मजदूरी ₹152 प्रति दिन की दर से दी जानी थी, किन्तु भुगतान करते समय मजदूरों की ₹150/– प्रतिदिन एवं मिस्त्री को

₹175 / — प्रतिदिन की दर से भुगतान किया गया है एवं इस प्रकार ₹1156 / — का अधिक भुगतान मजदूरों एवं मिस्त्री को निम्न विवरणानुसार किया गया हैः—

क्र0सं0	विवरण	दिनों की सं0	देय मजदूरी प्रतिदिन		दी गई मजदूरी प्रतिदिन		अधिक भुगतान
			मजदूर	मिस्त्री	मजदूर	मिस्त्री	
1	मजदूर	44	130	—	151	—	880
2	मिस्त्री	12	—	152	—	175	276
						योग	**1156**

अतः अधिक भुगतान की गई मजदूरी ₹1156 / — की वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) उक्त मस्ट्रोल द्वारा किये गये भुगतान एवं इसके एवज में मजदूरों द्वारा किये गये कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की प्रगति की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः इससे सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उसकी तदानुसार जाँच की जा सके।

11 निर्माण कार्य सामुदायिक भवन हरिजन बस्ती, द्रुण में मजदूरों को ₹780 का अधिक भुगतानः—

ग्राम पंचायत द्वारा व्यय वाउचर संख्या 46 दिनांक 10.3.2014 में मस्ट्रोल संख्या 029584 अवधि 10.3.2013 से 31.3.2013 के सन्दर्भ में ₹28932 / — का भुगतान मजदूरों एवं मिस्त्री को किया गया है। उक्त मस्ट्रोल की जाँच में पाया गया कि क्रम संख्या 8 (रामेश्वरी पत्नी रत्न चन्द) एवं क्रम संख्या 9 (बिमला पत्नी नरपत राम) के क्रमशः 19 एवं 19 दिन बनते हैं जबकि इन दोनों को भुगतान क्रमशः 22 दिन प्रति मजदूर का किया गया है एवं इस प्रकार दोनों को तीन—तीन दिन अधिक मजदूरी का भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान की गई मजदूरी छः दिन ₹780 / — (130X6) की वसूली सम्बन्धित से करने के उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

(ii) उक्त निर्माण कार्य की प्रति से सम्बन्धित माप पुस्तिका भी जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि कार्य प्रगति एवं मजदूरी भुगतान की तदानुसार जाँच की जा सके।

12 निर्माण कार्य रोड रोपा से द्रुण हेतु किये गये भुगतान ₹98000/– से सम्बन्धित अभिलेख/प्रगति रिपोर्ट (माप पुस्तिका) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:–

ग्राम पंचायत के सत्र 2015–16 में विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि व्यय वाउचर संख्या 11 दिनांक 24.8.2015 द्वारा ₹98000/– का भुगतान मै0 दौलत राम, सरकारी ठेकेदार सुधार को उनके बिल संख्या 117 दिनांक 20.2.2015 एवं 118 दिनांक 03.03.2015 द्वारा क्रमशः ₹49000/–एवं ₹49000 कुल ₹98000/–का किया गया है। उक्त व्यय वाउचर की जाँच में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है जिनका निराकरण अपेक्षित है।

(i) पंचायत द्वारा उक्त कार्य से पूर्व नियमानुसार अपनाई जाने वाली निविदा प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना की गई है, जिस कारण प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर न्यूनतम बाजारीय दर का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका, जिस बारे में स्पष्टीकरण देते हुये उक्त व्यय की सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर इस व्यय को नियमित करवाया जाना अपेक्षित है।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भुगतान द्वारा जो कार्य करवाया गया है उसकी प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिका जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में किये गये कार्य की प्रगति की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः इससे सम्बन्धित माप पुस्तिका आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जाए ताकि कार्य प्रगति एवं किये गये भुगतान की तुलनात्मक जाँच की जा सके।

(iii) ग्राम पंचायत द्वारा इस कार्य से सम्बन्धित प्राकलन एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख भी वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों में वर्णित रजिस्टरों/अभिलेखों का पूर्ण रूपेण रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**रजिस्टर का प्रकार/विवरण**	**प्रारूप**	**सन्दर्भित नियम**
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)

3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राकलन	11	37
6	बजट प्राकलन	12	38
7	वेतन जाँच रजिस्टर	18	58
8	स्टॉक रजिस्टर	25	72 (i)

14 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है। जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16 निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त प्राप्त अनुदान राशियों को विहित अवधि में व्यय करने हेतु समुचित पग उठाये जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(11) 6/2017—खण्ड—1—217—220 दिनाँकः18.01.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत रोपा, विकास खण्ड द्रंग, तहसील द्रंग, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, तहसील द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.